भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 522
05 फरवरी, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों की आय पर नए कृषि कानून का प्रभाव

522. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या तीन नए कृषि कानूनों के कारण निजी व्यवसायी किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम लागत पर खरीद कर सकते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो किसानों की आय में कितनी गिरावट होने का अनुमान है;

(ग) यदि नहीं, तो कानून में इस खंड को शामिल न किए जाने के क्या कारण हैं जो स्वयं यह निर्दिष्ट करता हो कि निजी व्यवसायियों द्वारा खरीद का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम नहीं किया जा सकता है; और

(घ) क्या इस कानून में उस खंड का जोड़ने की कोई योजना है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) से (घ): नए कृषि कानून अर्थात् 'कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020' 'कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020' और 'आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020' का उद्देश्य एक ऐसे पारिस्थितिकी तैयार करना है जहां किसानों को कृषक उपज की बिक्री से संबंधित विकल्प की स्वतंत्रता प्राप्त हो जिससे कृषक उपज की बिक्री के लिए प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से उन्हें लाभकारी मूल्य की सुविधा मिलती है। इससे कृषि कानून किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए व्यापारियों, प्रोसेसरों, निर्यातकों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), कृषि सहकारी समितियों आदि के द्वारा व्यापार क्षेत्र में किसानों से सीधे उपज खरीदने की सुविधा मिलेगी, ताकि आपूर्ति श्रृंखला और विपणन लागत में कमी के कारण उन्हें बेहतर लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सके।

इसके अलावा, 'कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020' के तहत, यह निर्धारित है कि उपज कृषि करार में प्रदत्त कीमतों पर ही खरीदी जाए। कीमत को मंडी की कीमतों के साथ जोड़ा जा सकता है और ऐसी स्थिति में, न्यूनतम गारंटी मूल्य विनिर्दिष्ट किया। उसी तरह, करार में न्यूनतम गारंटी मूल्य से अधिक भुगतान के निर्धारण की पद्धति और उचित मूल्य संदर्भ दिया जाए।

कृषि अधिनियमों के साथ एमएसपी नीति का कोई संबंध नहीं है। हालांकि, किसान अपनी उपज को सरकारी खरीद एजेंसियों को एमएसपी पर अथवा खुली मंडियों में अथवा संविदा खेती के माध्यम से, जो भी उनके लिए लाभकारी हो, बेचने के लिए स्वतंत्र है।

****